भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3036
उत्तर देने की तारीख : 12.03.2020

हज यात्रा

3036. श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्यालः
श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰ः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत संपूर्ण हज 2020 प्रक्रिया को 100% डिजिटल करने वाला पहला देश बन गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इससे बिचौलियों को हटाने में सहायता मिलेगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हज यात्रा पिछले कुछ दशकों में हुए खर्च की तुलना में सस्ती हो जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मक्का–मदीना में किसी आपातकाल से निपटने के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों का संपूर्ण स्वास्थ्य डेटाबेस बनाने और इसे रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तीर्थयात्रा के संबंध में हज यात्रियों को उनके संबंधित राज्यों में प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु कितने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है; और

(ङ) हज 2020 के लिए कितने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा हज करने वाले भारतीय मुसलमानों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार संभावित संख्या कितनी है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) भारत ने हज आवेदकों/यात्रियों के लाभ के लिए हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए 'हज करने में आसानी' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग किया है और हज प्रक्रिया/प्रचालनों में सुविधा को बढ़ाया है जिसमें भारतीय हज समिति द्वारा हज 2020 के लिए सम्पूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भारतीय हज समिति के माध्यम से जा रहे यात्रियों के बारे में विस्तृत आंकड़ों का रख–रखाव, उनका चिकित्सा विवरण, मक्का और मदीना में आवास, पहचान–पत्र पर बार–कोड पठनीय सूचना जारी करना और यात्रियों के सामान की टैगिंग करना, यात्रा प्रबंधों के लिए यात्रियों की आगमन पूर्व फ्लाईट–वार सूचना सऊदी प्राधिकारियों के साथ डिजिटली शेयर करना, डॉक्टर के पर्चे के साथ भारतीय यात्रियों का स्वास्थ्य डाटाबेस बनाना और अपडेट करना, डॉक्टरी इलाज, दवाइयों का संवितरण और अंतरंग रोगी विवरण शामिल है। निजी हज समूह आयोजकों (एचजीओ) के पंजीकरण और उन्हें हज कोटा आबंटित करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजीटल की गई है जिसमें एचजीओ के आवेदनों पर ऑनलाइन कार्रवाई और छानबीन, पेश की गई

सेवाओं और हज पैकेजों का ऑनलाइन प्रकटीकरण, पंजीकृत एचजीओ द्वारा पेश किए गए हज पैकेजों को देखने और तुलना करने के लिए वेब पोर्टल, सेवा प्रदान किए गए यात्रियों के पूरे विवरणों का प्रकटीकरण, एचजीओ और यात्रियों के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले करारों को ऑनलाइन सृजित करना आदि शामिल है। भारत के महाकौंसलावास, जेद्दा द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन ''इंडियन हाजी इंर्फोमेशन सिस्टम'' विकसित की गई है ताकि वे मक्का और मदीना में उनके आवास; माशेर में टैंटों का स्थान; खादिम–उल–हज्जाज के विवरणों; हज गाईड विडियो; एडवाइज़री; अद्यतन समाचारों आदि सहित व्यावहारिक सूचना के साथ–साथ शिकायत पंजीकरण और ट्रैकिंग के बारे में विवरण प्राप्त कर सकें। हज 2019 में एक त्रिभाषी (अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू) नई विशेषता ''हज –2019 सर्वेक्षण'' यात्रियों से फीडबैक प्राप्त करने के लिए जोड़ी गई थी। भारत उन कुछ देशों में है जिन्होंने सऊदी हज एवं उमराह मंत्रालय के ई–पाथ सिस्टम का 100% कार्यान्वयन किया है जिसने सऊदी अरब में हज प्रवासन प्रक्रिया को आसान बनाया है।

(ख) भारतीय हज समिति द्वारा हज यात्रा के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन बनाना, एचजीओ के पंजीकरण और हज कोटा आबंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन बनाना और मक्का में भारतीय हज समिति के यात्रियों को भवनों की पेशकश ऑनलाइन प्रस्तुत करना यह सुनिश्चित करता है कि यात्री/स्टेकहोल्डर इंटरनेट के जरिये सीधे आवेदन कर सकते हैं। किसी बिचौलिए के माध्यम से आने की जरूरत नहीं है। इससे हज प्रक्रिया आसान हुई है, हज प्रबंधन में पारदर्शिता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है। तथापि, हज प्रक्रिया के डिजिटीकरण से लागत में हुई बचत की मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं है क्योंकि इसमें यात्रियों को हुए विभिन्न मूर्त और अमूर्त लाभ शामिल है जो घर से हज प्रक्रिया/आवेदन करने में हुई आसानी, यात्रियों और स्टेकहोल्डरों को प्रामाणिक और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच, यात्रियों द्वारा समय पर और विश्वसनीय चिकित्सा परिचर्या प्राप्त किए जाने, कार्य–व्यवहार की आसानी, सऊदी अरब में किराए पर लिए गए भवनों की गुणवत्ता और सऊदी अरब में वहां प्रदान की गई सुविधाओं में सुधार, आदि के रूप में सामने आए हैं।

(ग) भारत के महाकौंसलावास, जेद्दा ने ऑनलाइन एप्लिकेशन ई–मसीहा (इलैक्ट्रॉनिक–मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स अब्रॉड) विकसित की है जो हज 2018 के दौरान शुरू की गई थी। ई–मसीहा में, भारतीय हज समिति के माध्यम से आने वाले भारतीय यात्रियों का स्वास्थ्य डाटाबेस पहले से ही फीड किया जाता है। इससे मक्का या मदीना या जेद्दा हज टर्मिनल में भारतीय चिकित्सा केंद्रों में उपलब्ध चिकित्सा परिचर/डॉक्टर को यात्रियों के स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जब वे उनके पास आते हैं। स्वास्थ्य डाटाबेस के आधार पर डॉक्टर और पैरा–मेडिकल स्टाफ उच्च जोखिम समूह (चिकित्सीय रूप से) के अधीन आने वाले यात्रियों के आवास का नियमित दौरा करते हैं ताकि उनके स्वास्थ्य की जांच की जा सके। प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टें, डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाइयां और यात्रियों द्वारा प्राप्त की गई दवाइयां ऑनलाइन अद्यतित की जाती हैं। यह एप्लिकेशन प्रत्येक शाखा में दवाइयों की सूची भी बनाए रखती है ताकि दवाइयों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(घ) भारतीय हज समिति प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देती है। प्रत्येक 250 यात्रियों के लिए एक प्रशिक्षक का चयन किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए भारतीय हज समिति द्वारा कुल मिलाकर लगभग 500 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षक चुने गए यात्रियों को भारतीय हज समिति के समग्र मार्गदर्शन और अनुदेशों के अंतर्गत संबंधित राज्य हज समितियों द्वारा जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में हज प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

(ङ) हज 2020 के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की कुल संख्या 2,13,726 है। हज 2020 के लिए सऊदी अरब राज्य के साथ हुए वार्षिक द्विपक्षीय करार में भारतीय हज समिति को आबंटित कोटे के अनुसार भारतीय हज समिति के माध्यम से हज करने वाले भारतीय मुस्लिमों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार संभावित संख्या अनुबंध में दी गई है।

*****

''हज यात्रा'' के संबंध में श्री कुलदीप राय शर्मा, डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः, श्री श्रीनिवास पाटील, श्रीमती सुप्रिया सुले, डॉ॰ भारतीबेन डी॰ श्याल, श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिल कुमार एस॰, डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 12.03.2020 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3036 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारतीय हज समिति में प्राप्त आवेदनों की संख्या और हज 2020 के लिए आबंटित कोटा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020	
		आवेदनों की संख्या	आबंटित कोटा**
1	अण्डमान व निकोबार (यूटी)	114	114
2	आंध्र प्रदेश	3147	2930
3	असम (*)	4418	4418
4	बिहार	4857	4857
5	चंडीगढ़(यूटी)	44	44
6	छत्तीसगढ़	912	469
7	दादरा एवं नगर हवेली(यूटी)	40	40
8	दमन एवं दीव(यूटी)	39	39
9	दिल्ली(एनसीटी)	5312	2129
10	गोवा	140	140
11	गुजरात	29540	7285
12	हरियाणा	2838	1577
13	हिमाचल प्रदेश	50	50
14	जम्मू एवं कश्मीर	16880	9929
15	झारखंड	2282	2282
16	कर्नाटक	9839	6734
17	केरल	26081	10834
18	लक्षद्वीप(यूटी)	270	270
19	मध्य प्रदेश	13319	4864
20	महाराष्ट्र	28712	12349
21	मणिपुर	525	525
22	उड़ीसा	656	656
23	पुडुचेरी(यूटी)	86	86
24	पंजाब	302	302
25	राजस्थान	8241	5359
26	तमिलनाडू	6028	3736
27	त्रिपुरा	106	106
28	उत्तर प्रदेश	28063	28063
29	उत्तराखंड	2516	1278
30	पश्चिम बंगाल	7594	7594
31	तेलंगाना	10775	4341
32	विवेकाधीन कोटा		500
33	खादिम उल हुज्जाज		625
34	मेहरम कोटा		500
	कुल	213726	125025

*असम में अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की मुस्लिम आबादी शामिल है।

**भारतीय हज समिति को आबंटित कोटा हज 2020 के लिए सऊदी अरब राज्य के साथ हुए वार्षिक द्विपक्षीय करार के अनुसार है। इसके अतिरिक्त, 50,000 यात्री निजी हज समूह आयोजकों के माध्यम से यात्रा करेंगे। हज 2020 के लिए सऊदी अरब राज्य द्वारा भारत को आबंटित किया गया कोई अतिरिक्त कोटा हज 2018–22 के लिए भारतीय हज समिति के यात्रियों हेतु नई हज नीति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा।

******